न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **52/2025** GCMS 2025/102

वादीगण :–

1. गोपाल सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

1. गंगा सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत
2. धर्मवीर सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत
4. राजपाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत
5. लोकेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
6. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र कुमार किरड़ोलिया वादी की ओर से

श्री बिरमाराम चौधरी प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 26/03/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि यह है कि यह है कि ग्राम कुचामन सिटी पटवार हल्का कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृशि भूमि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टेयर मे मेरी क्रमशः 1/2, 8089/30000 व 667/1900 हिस्से की कृषि भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि मे मुझ वादी का क्रमशः 1/2, 8089/30000 व 667/1900 हिस्सा आया हुआ है जिस पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हूँ। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का वादी एव प्रतिवादीगण ने अपनी आपसी सहमति से मौके पर भू–विभाजन कर रखा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का वादी मौके पर काबिज अनुसार व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार भू–विभाजन करवाकर Separate Holding कायम करवाना चाहता है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का वादी अपने बट व हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज अनुसार भू–विभाजन करवाकर Separate Holding कायम करवाना चाहता है, जिससे भू–विभाजन को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो इसलिए वादी यह भू–विभाजन का वाद लाया जाना आवश्यक हुआ है। जिसमें प्रतिवादीगण को उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रतिवादीगण वादी के हक व कब्जा वाली की भूमि का किसी विधिवत भू–विभाजन के किसी प्रकार का बैचान हस्तान्तरण, बख्शीश इत्यादि नहीं करे अगर ऐसा करने मे सफल हो गये तो अनाव यक मुकदमेबाजी बढकर बर्बादी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति होना कतई सम्भव नही है इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वादी अपने हितों की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया जाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा हाल ही मे उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा बिना विधिवत भू–विभाजन के अजनबी व्यक्ति को बैचान कर मुझ वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर बामुकाम आज ग्राम कुचामन सिटी नगर में उत्पन्न हुआ। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 सह खातेदार होने से पक्षकार है व प्रतिवादी संख्या 6 रहन होने से तथा प्रतिवादी संख्या 7 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार है।

<u>इस्तदुआ वादी है :–</u>

ग्राम कुचामन सिटी पटवार हल्का कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टेयर मे मेरी क्रमशः 1/2, 8089/30000 व 667/1900 हिस्से की स्पष्ट खातेदारी घोषणा की डिक्री सादीर फरमाई जावे। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादी के हक हिस्से की भूमि का मौके पर काबिज अनुसार अनुसार by meets & bounds भू–विभाजनकर Separate Holding कायम किया जाकर उसी अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाने का आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन सिटी को प्रदान करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 से 07 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04, 05 द्वारा वाद पत्र में राजीनामा पेश कर कथन किया कि यह है कि करबा कुचामन सिटी पटवार हल्का कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टेयर मे वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के हक हिस्से की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जबकी मौके पर अपने–अपने हक हिस्से पर कब्जा कास्त करते आ रहे है तथा कृशि कार्य व आने जाने के लिये रास्ता कायम कर रखा है। इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 भू–विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की उपरोक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि के चारों ओर नींव सींव कायम कर बाड एवं पत्थर गढी कर रखी है तथा अपने हक हिस्से की भूमि मे खाद डालकर उपजाउ बना रखी है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 अपने हक हिस्से की भूमि का बटॅवारा कराना चाहते है जिसके वह अधिकारी है। उपरोक्त खसरा नं. की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की कृषि भूमि नजरी नक्शा पर अंकित है राजीनामा के साथ नजरी नक्शा सलंग्न है जिसको राजीनामा का एक भाग समझा जावे। कस्बा कुचामन सिटी पटवार हल्का कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टेयर मे वादी एंव प्रतीवादीगण सं. 1 ता 5 के हक हिस्से की कृषि भूमि आई हुई है। वादी एवं प्रतीवादीगण सं. 1 ता 5 को खातेदार [illegible] फरमाया जाकर तथा कृषि कार्य व आने जाने के लिये जो रास्ता कायम किया [illegible] रास्ते की सम्पूर्ण भूमि वादी के हक हिस्से की भूमि मे से कायम किया गया [illegible] वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे वादी एंव प्रतीवादीगण सं. 1 [illegible] अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त तथा कृषि कार्य व आने जाने के लिये रास्ता [illegible] नजरी नक्शे पर अंकित अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

तरमीम करने का आदेश तहसीलदार जी कुचामन सिटी को प्रदान करावें इस आशय की डिक्री बहकवादी विरूद प्रतिवादीगण सादर फरमायें। खसरा नम्बर 1639 किस्म गै. मु. कुँआ कुल रकबा 0. 0100 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 दोनो के नाम ही रखा जाये। उक्त खसरा नम्बर 1639 मे भू–विभाजन नही करवाना है। जरिये राजीनामा माफिक डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतू तहसीलदारजी कुचामन सिटी को आदेश प्रदान करावें। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के मौके पर कब्जा कास्त अनुसार एंव नजरी नक्शा में दर्शाया अनुसार भू–विभाजन व रास्ता कायम किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

कस्बा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से वाद अंतिम डिक्री किया जाता है :–

–: आदेश :–

कस्बा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा व रास्ता कायम किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **52/2025** GCMS 2025/102

वादीगण :–

1. गोपाल सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रतिवादीगण :–

1. गंगा सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत
2. धर्मवीर सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति राजपूत
4. राजपाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत
5. लोकेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी
6. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी, श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर कस्बा कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि खसरा नम्बर 1639 कुल रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1640 कुल रकबा 3.0000 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1642 कुल रकबा 2.8500 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख .... माह ...08....... सन्...2025..... को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:16 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर)

दस्तखत ....
ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:16 IST
Reason: SelfAttested